Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT
& ENTREPRENEURSHIP

N·S·D·C
National
Skill Development
Corporation
Transforming the skill landscape

BFSI
BFSI Sector Skill Council of India

प्रतिभागी पुस्तिका

क्षेत्र
बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई)

उप–क्षेत्र
बैंकिंग

व्यवसाय
वित्त संबंधित सेवाएं

सन्दर्भ आईडी– **BSC/Q0101, Version 1.0**
NSQF Level 4

जीवन बीमा एजेंट

जीवन बीमा एजेंट
प्रतिभागी पुस्तिका
BFSI

"कौशल से बेहतर भारत का निर्माण होता है।
यदि हमे भारत को विकास की ओर ले जाना है तो
कौशल का विकास हमारा मिशन होना चाहिए।"

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री भारत

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

BFSI
BFSI Sector Skill Council of India

N·S·D·C
National
Skill Development
Corporation

Certificate

CURRICULUM COMPLIANCE TO QUALIFICATION PACK – NATIONAL OCCUPATIONAL STANDARDS

is hereby issued by the

BFSI SECTOR SKILLS COUNCIL OF INDIA

for the

MODEL CURRICULUM

Complying to National Occupational Standards of
Job Role/ Qualification Pack: '**Life Insurance Agent**'
QP No. '**BSC/Q0101 NSQF Level 4**'

Date of Issuance: January 15th, 2016

Valid up to: January 15th, 2017

** Valid up to the next review date of the Qualification Pack*

Authorized Signatory
(BFSI Sector Skill Council of India)

विषय सूची

क्रमांक	अध्याय व इकाईयां	पृष्ठ संख्या
1.	स्त्रोत ग्राहकों के लिए	1
	इकाई 1.1 बीमा का परिचय	2
	इकाई 1.2 जीवन बीमा एजेंट एक कैरियर के रुप में	24
	इकाई 1.3 जीवन बीमा उत्पाद	35
	इकाई 1.4 पेंशन तथा वार्षिकियां	53
	इकाई 1.5 संभावित ग्राहकों का निर्धारण	62
2.	आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना	71
	इकाई 2.1 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना	72
	इकाई 2.2 मूल्य निर्धारण तथा मूल्यांकन	146
	इकाई 2.3 कानुनी पहलु	164
3.	बिक्री	175
	इकाई 3.1 बिक्री की प्रक्रिया	176
	इकाई 3.2 ग्राहक सेवा	190
	इकाई 3.3 शिकायत निवारण	202
4.	दावों पर कार्यवाही	235
	इकाई 4.1 दावे क्या हैं	236
	इकाई 4.2 दावों पर कार्यवाही	244
5.	नियोजनीयता एव उद्यमशीलता कौशल	253
	इकाई 5.1 व्यक्तिगत क्षमताएं एवं मूल्य	254
	इकाई 5.2 डिजिटल साक्षरताः पुनरावृत्ति	270
	इकाई 5.3 धन संबंधी मामले	274
	इकाई 5.4 रोजगार व स्वरोजगार के लिए तैयारी करना	283
	इकाई 5.5 उद्यमशीलता को समझना	293
	इकाई 5.6 उद्यमी बनने की तैयारी करना	315

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT
& ENTREPRENEURSHIP

N·S·D·C
National
Skill Development
Corporation
Transforming the skill landscape

BFSI
BFSI Sector Skill Council of India

1. स्त्रोत ग्राहकों के लिए

इकाई 1.1 बीमा का परिचय
इकाई 1.2 जीवन बीमा एजेंट एक कैरियर के रुप में
इकाई 1.3 जीवन बीमा उत्पाद
इकाई 1.4 पेंशन तथा वार्षिकियां
इकाई 1.5 संभावित ग्राहकों का निर्धारण

(BSC/ N 0301)

इकाई1.1 – बीमा का परिचय

इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अंत में, प्रतिभागी निम्नलिखित बातों को समझने में समर्थ होंगे:

- हमें बीमे की जरूरत क्यों होती है ?
- बीमे के इतिहास के बारे में जान सकेंगे ।
- यह जानेंगे कि यह महत्वपूर्ण क्यों है ?
- भारत में बीमे के इतिहास पर नजर डाल सकेंगे ।
- बीमे से संबध्द महत्वपूर्ण शब्दावलि को जान सकेंगे ।

बीमे की जरूरत

हमें बीमे की जरुरत क्यों होती है ?

जीवन प्रति दिन बदल रहा है ।हमारे चारों ओर दैनिक आधार पर घटनाएं और दुर्घटनायें घटित होती रहती है ।हमारे जीवन में जहां अनेक सुखद घटनायें होती है, वहीं कुछ चीजें हमे चिंतित और भयग्रस्त कर देती है ।ये दुर्घटनायें, अचानक स्वास्थ्य में खराबी, एक कमाऊ सदस्य की असमय मृत्यू और प्राकृतिक विपदायें कुछ भी हो सकती हैं ।

Figure 1.1.1

Figure 1.1.2

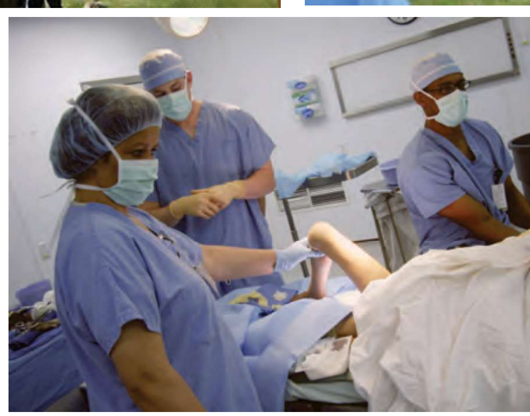

Figure 1.1.3

बीमा आपको मदद करता है:

- आपके घर को सुरक्षित रखने में
- आपके वाहन को सुरक्षित रखने में
- गंभीर बीमारी के विरुध्द सुरक्षा प्रदान करता है ।
- एक अनपेक्षित हानि को कवर करता है
- स्वास्थ्य सेवा की लागत को कवर करता है
- मृत्यू के मामले में आपके परिवार को सहायता प्रदान करता है

ये घटनायें हमें चिंतित कर देती है क्योंकि:

- ये अप्रत्याशित होती है
- ये अक्सर नुकसान और दु:ख का कारण होती है

जब किसी व्यक्ति का बीमा होता है तो वह इन आकस्मिक घटनाओं के लिए तैयार रह सकता है ।

बीमे का इतिहास

हम सभी विपदाओं का सामना करते हैं और इसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है । अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में समुदाय हमेशा अपने सदस्यों की मदद के लिए आगे आते हैं । यह एक परस्पर सहायता की प्रणाली बना कर संभव होता है । बीमा भी बहुत कुछ इसके जैसा ही है ।

प्रस्तुत:, इतिहास में एक नजर डालने पर पता चलता है कि वर्षों पहले भी बीमे का अस्तित्व मौजूद था । 3000 बीसी से ही बीमा किसी ना किसी रुप में मौजूद है । हमे ऐसी घटनायें देखने को मिल सकती है जब समुदाय के किसी सदस्य की क्षति होने पर बाद में इस्तेमाल के लिए लोगों ने मिलजुल कर संसाधन जुटाये हों । फिर भी, बीमा एक व्यवसाय के रुप में 18वीं शताब्दी में ही आया ।

प्राचीन समय में बीमे के रुप

बेबीलोन के व्यापारी लोग समुद्री यात्रा पर होने के दौरान अपने माल की हानि में सहायता के लिए पोत बंधक ऋण लिया करते थे । इन ऋण के एक भाग के रुप में, ऋणदाता यह ऋण को बट्टे खाते में डालने के लिए एक धनराशि प्राप्त किया करते थे । यह ऋण जहाज की सुरक्षा के विरुध्द या भेजे जा रहे माल के विरुध्द लिया जाता था ।	
भरुच और सूरत के व्यापारी भरुच और सूरत के व्यापारी भी क्षतियों के मामले में बेबीलोन के व्यापारियों की ही तरह काम करते थे । इसका उद्देश्य समुद्र में होने वाले नुकसान के विरुध्द खुद को सुरक्षा प्रदान करना था क्योंकि वे अक्सर व्यापार के लिए श्रीलंका, मिस्र और युनान की यात्रा किया करते थे ।	
युनानी इन्हें 7वी शताब्दी ईपू में उदार संस्थाओं की स्थापना के लिए जाना जाता है । ये संस्थायें मृतक के परिवारों को अंतिम संस्कार में सहायता करती थी और उन्हें बाद में भी मदद करती थी ।	
इंग्लैण्ड इंग्लैण्ड की मित्रवत संस्थाओं का निर्माण भी युनान की तर्ज पर किया गया था । वे भी ऐसे परिवारों की मदद के लिए सहायता प्रणाली बनाना चाहते थे जो अप्रत्याशित त्रासदी से गुजरना पड़ता था ।	
लंदन में लॉयड कॉफी हाउस को आधुनिक व्यवसायिक बीमा व्यवसाय के लिए एक मॉडल समझा जाता है क्योंकि यह आज भी विद्यमान है ।	
रोड्स के रहवासी माल के खो जाने की स्थिति में परिवहन किए जा रहे माल के स्वामीगण होने वाली क्षति को सामुहिक रुप से साझा किया करते थे । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसके माल का नुकसान हुआ है ।	
चीनी व्यापारी नुकसान से बचने के लिए वे माल को अलग अलग नावों या जहाजों में ले जाते थे ।	

भारत में वर्तमान समय में बीमे की स्थिति

प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बीमे के बारे में उल्लेख है । इनमें आग, बाढ़, महामारी और अकाल जैसी विपदाओं में लोगों के माल के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसाधन जुटाने का विवरण दिया गया है ।

पारंपरिक रुप से भी, भारत ने संयुक्त परिवार प्रणाली में व्यवसाय प्रबंधन का सशक्त रुप देखा है । यह अब तक देखे गए बीमे के सर्वाधिक शक्तिशाली स्वरुपों में से एक है । आज जो जीवन बीमा विद्यमान है, यह प्राचीन स्वरुप को ही प्रदर्शित करता है जहां किसी आर्थिक या व्यक्तिगत क्षति होने पर परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद किया करते थे।

भारत में बीमे का इतिहास

भारत में आधुनिक बीमा व्यवसाय की शुरुआत 1800 इस्वी में हुई । इस समय, अनेक विदेशी बीमाकर्ताओं ने भारत में समुद्री बीमा व्यवसाय की शुरुआत की । आइये हम 1818 से अब तक के बीमा इतिहास पर एक नजर डालते है जब दि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई थी ।

दि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1818)	भारत में स्थापित होने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी । यह एक ब्रिटिश कंपनी थी ।
मद्रास इक्विटेबल (1829)	यह कंपनी मद्रास प्रेसिडेंसी में जीवन बीमा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी ।
ट्रायटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत में स्थापित होने वाली प्रथम गैर–जीवन बीमा कंपनी ।
बाम्बे म्युचअल एश्योरेंस सोसायटी लि. (1871)	पहली भारतीय बीमा कंपनी जिसकी स्थापना मुम्बई में की गई थी ।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1906)	भारत की सबसे प्राचीन बीमा कंपनी जो अब भी व्यवसाय में है।

सदी के अंत में स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरुप अनेक भारतीय कंपनियों की स्थापना की गई ।

महत्वपूर्ण बीमा अधिनियमों की तिथियां
1870: ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट **1912: जीवन बीमा कंपनी अधिनियम** **1912: भविष्य निधि अधिनियम** **1938: बीमा अधिनियम 1938**

जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर, 1956 को किया गया । इसके परिणामस्वरुप, अस्तित्व में मौजूद 170 कंपनियोंऔर 75 भविष्य निधि संस्थाओं के विलय के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) की स्थापना की गई । 1956 से 1999 की अवधि के बीच, एलआईसी ऐसी एकमात्र कंपनी थी जो भारत में जीवन बीमा कर सकती थी।

गैर–जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण

यह 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट (जीआईबीएनए) से संदर्भित है । इस अधिनियम के अनुसार, भारत में गैर–जीवन बीमा व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण किया गया । अतः, चार सहायक कंपनियों के साथ जनरल इंश्योरेंस ऑफ इण्डिया (जीआईसी) की स्थापना की गई । उस समय भारत में कोई 106 बीमाकर्ता थे जो गैर जीवन बीमा प्रदान करते थे परंतु जीआईबीएनए अधिनियम के अनुसार, वे जीआईसी ऑफ इण्डिया में शामिल कर लिए गए ।

मलहोत्रा समिति तथा आई आर डी ए

1994 में, बेहतर उद्योग पध्दतियों के लिए मलहोत्रा समिति ने कुछ परिवर्तनों की अनुशंसा की । इसका एक महत्वपूर्ण भाग था प्रतिस्पर्धा की शुरुआत । इस रिपोर्ट के एक भाग के रुप में, 1997 में इंश्योरेंस रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (आईआरए) की स्थापना की गई ।

दि इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एण्ड डेवलपमेंट एक्ट (आईआरडीए) भी 1999 में लागू हुआ और अप्रैल 2000 में आईआरडीए की स्थापना की गई । यह जीवन बीमा तथा गैर जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करने वालों के लिए एक विधिक नियामक बोर्ड की तरह काम करता है ।

भारत में आज जीवन बीमा

आज भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां काम कर रही है । आइये हम इनके बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं :

- भारतीय जीवन बीमा निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
- निजी क्षेत्र में 23 जीवन बीमा कंपनियां हैं ।
- भारत सरकार के अधीन, डाक विभाग भी डाक जीवन बीमा के जरिये जीवन बीमा व्यवसाय करता है परंतु यह नियामक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

अभ्यास

प्रश्न 1 बीमे को 50 शब्दों में परिभाषित करें ।

____

____

____

प्रश्न 2 इनमें से कौन से प्राचीन व्यापारी किसी प्रकार के बीमे का इस्तेमाल करते थे ?

- प्राचीन भारतीय व्यापारी
- युनानी व्यापारी
- चीनी व्यापारी
- मेसापोटामिया के व्यापारी

प्रश्न3 निम्नलिखित अधिनियमों को दो पंक्तियों में वर्णित करें ।

I. 1870: ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट

____

____

ii. 1912: जीवन बीमा कंपनी अधिनियम

____

____

iii. 1912: भविष्य निधि अधिनियम

____

____

iv. 1938: बीमा अधिनियम 1938

____

____

प्रश्न 4 भारत में बीमा उद्योग का नियामक कौन है ?

- इश्योरेंस ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया
- इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एण्ड डेवलपमेंट ऑथोरिटी
- लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया
- जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया

Figure 1.1.4

परिसंपत्ति

एक वस्तु जिसमें आर्थिक मूल्य होता है, एक परिसंपत्ति कही जा सकती है । परिसंपत्ति तीन प्रकार की हो सकती है:

2. भौतिक : जैसे कार या एक भवन

2. गैर भौतिक : जैसे नाम या साख

3. व्यक्तिगत : जैसे एक प्रतिमा, क्षमता, चेहरा आदि

एक क्षति या जोखिम के मामले में, संपत्ति अपना मूल्य गंवा सकती है । हानि का यह अवसर एक जोखिम कहलाता है। जोखिम की यह घटना एक जोखिम कहलाती है। पूलिंग में लोग एक साझा स्थान पर प्रीमियम साझा करते हैं। उनके पास समान प्रकार की संपत्तियां होती है जिन पर जोखिम होता है । निधियों का यह संग्रह उन लोगों को मुआवजा देने में इस्तेमाल होता है जिन्हें एक जोखिम से नुकसान पहुंचता है । निधियां जमा करने और उन लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जिन्हें नुकसान हुआ है, एक बीमाकर्ता द्वारा की जाती है । वे लोग जो उनके संसाधनों को जमा करते हैं, वे बीमित कहलाते हैं ।

बीमे की भूमिका

बीमा लोगों को जीवन संपत्ति की आकस्मिक हानि के मामले में जोखिम लेने में सुरक्षा प्रदान करता है ।यह लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और स्थायित्व प्रदान करता है । चूंकि बीमा लोगों के आर्थिक हितों को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इससे एक स्वस्थ्य अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद मिलती है ।

सामान्य तौर पर, जोखिम दो प्रकार के होते हैं : प्राथमिक और द्वितीयक ।

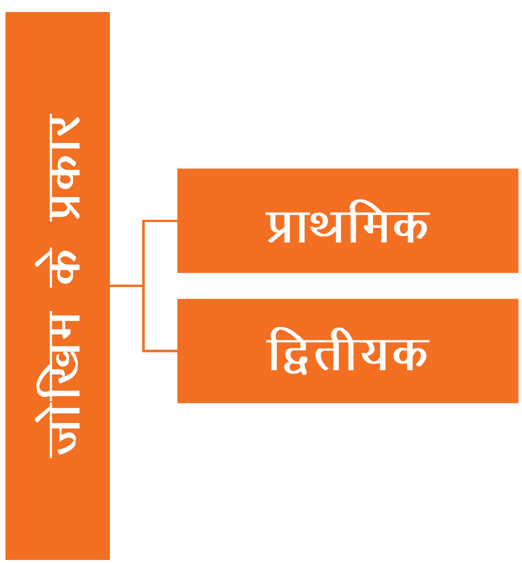

Figure 1.1.5

a) जोखिम का प्राथमिक भार

परिवारों या व्यवसायों में वास्तविक हानि होती है जो आग या भूकम्प जैसी एक जोखिमपूर्ण घटना के कारण होती है। आमतौर पर इन नुकसानों का मापन किया जा सकता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष हानि होती है । इन नुकसानों के लिए बीमाकर्ता द्वारा आसानी से मुआवजा दिया जा सकता है ।

उदाहरण :

एक बाढ़ के मामले में, एक फेक्टरी के सभी उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए । ऐसे समय में, यदि उन्होंने अपनी मशीनों का बीमा कराया होगा तो उन्हें उनकी क्षतिग्रस्त मशीनों या नष्ट हुए माल के लिए एक अच्छी कीमत प्राप्त हो जाएगी ।

b) जोखिम का द्वितीयक भार

यह एक अनपेक्षित घटना से जुड़ा जोखिम होता है भले ही वास्तव में कोई हानि न हुई हो । इसका अर्थ यह है कि जोखिम को कव्हर कियाजाना । यह जोखिम का द्वितीयक भार कहलाता है ।

उदाहरण:

एक बाढ़ के मामले में, आपकी फेक्टरी बच सकती है । फिर भी, बाढ़ के कारण आपको कम व्यवसाय मिल रहा है । इसे जोखिम का द्वितीयक भार कहते हैं और इसे भी कव्हर किया जाएगा ।

नोट

अभ्यास

प्रश्न 1 इनमें से आप किसे जोखिम का द्वितीयक भार समझेंगे ?

- भूकम्प के कारण हुई व्यवसाय में क्षति
- बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त कार
- भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए प्रावधान रखना ।
- यदि आप अचानक अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो इससे व्यवसायिक हानि होगी ।

प्रश्न 2 भौतिक परिसंपत्तियों के 5 उदाहरण दीजियेः

अ)

ब)

स)

द)

इ)

प्रश्न 3 बीमे का महत्व 100 शब्दों में समझाइये ।

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

गतिविधि

अवलोकन

इस गतिविधि से आपको जोखिम प्रबंधन को समझने में मदद मिलेगी।

लक्ष्य तथा उद्देश्य :

बीमा में जोखिम प्रबंधन को समझने में सक्षम होना ।

आवश्यक सामग्रीः

- पेपर तथा पेन
- लेपटॉप तथा प्रोजेक्टर
- कक्षा कक्ष
- सफेद / (काला) श्यामपट्ट

विधि / प्रक्रिया :

शोध करें तथा कुछ जोखिम प्रबंधन तकनीकों का पता करें । कक्षा में उन पर चर्चा करें ।

परिणाम :

एक बीमा व्यवसाय किससे बनता है ?

परिसंपत्ति का मूल्य

एक परिसंपत्ति ऐसी कोई भी संपत्ति है जिसमें बदले में लाभ पैदा करने की क्षमता है । अधिकतर गुणों को आर्थिक संदर्भो में मापा जा सकता है जैसे कि एक कार, घर, मशीनें आदि । साथ ही, मूल्य की क्षति की भी गणना की जा सकती है :

उदाहरणः

एक कार दुर्घटना के मामले में, गाड़ी को हुई क्षति का अनुमान लगाया जा सकता है । मान लें कि रु. 30,000 की क्षति हुई है, तो यह वह धनराशि है जिसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा कार के स्वामी को किया जाना है ।

जोखिम

बीमा जोखिमपूर्ण घटनाओं के विरुध्द सुरक्षा प्रदान करता है जिनमें नुकसान और विनाश पहुंचाने की क्षमता होती है । बीमे के संदर्भ में जोखिमों के विभिन्न प्रकार है ।

उदाहरण :

एक कार दुर्घटना के मामले में, दुर्घटना एक जोखिम था । गाडियों से जुड़ा यह एक सामान्य जोखिम है अतः लोग इसके विरुध्द बीमा कराना चाहते हैं ।

सामुहिक जोखिम (रिस्क पूलिंग)

जब लोग बाद में इससे लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी धनराशियां एकत्र करते हैं, तो इसे एक रिस्क पूलिंग कहते हैं। जीवन बीमा के जरिये पॉलिसीधारक इस पूलिंग का आनंद लेते हैं ।जीवन बीमा कंपनियां भी संविदाकृत वित्तीय संस्थानों की तरह काम करती है और जो लाभ लोग प्राप्त करते हैं, उन्हें संविदीय गारंटी कहते हैं ।

परिपक्वता

यह बीमे का एक महत्वपूर्ण घटक है । इससे वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करने में मदद मिलती है ।

विविधता

निधियों की विविधता, बीमों के प्रकार, और बीमादारों के प्रकार– भी आगे जोखिम कम करने में मदद करते हैं । अतः बीमे में इसकी भी एक भूमिका है ।

जीवन बीमा – नुकसान की गणना

नुकसान की गणना अनेक कारकों पर निर्भर करता है । इसका मूल्यांकन एजेंट्स द्वारा ग्राहक के पहलुओं के आधार पर किया जाएगा । एक एजेंट को बीमा योजना देने से पहले नुकसान के मूल्य के बारे में समझाना होगा।

प्रो. सोलोम एस. हबनर ने लगभग 70 वर्ष पूर्व ह्यूमन लाइफ वेल्यू(एचएलव्ही) मेजरमेंट तैयार किया था । आपको बीमा शिक्षा का जनक भी कहा जाता है । विश्व भर में किसी व्यक्ति के जीवन के मूल्य के आंकलन के लिए इसका व्यापक प्रयोग होता है ।

इस सिध्दांत के अनुसार, मानव जीवन एक परिसंपत्ति है । एक व्यक्ति की जितनी अधिक आमदनी होगी, उतना ही ज्यादा उनका मूल्य होगा । एचएलव्ही द्वारा बीमित व्यक्ति की संभावित आगामी आय के अनुसार मनुष्य के जीवन का आंकलन किया जाता है । कुल आय से संदर्भ है आगामी प्रत्येक वर्ष में होने वाली आय ऋण खर्च किया गया धन । उस व्यक्ति की असमय मृत्यू की स्थिति में, इस मूल्य के रुप में उस कमाऊ सदस्य के परिवार को होने वाली आर्थिक क्षति का आंकलन किया जाता है ।

Source: Huebner Foundation

Figure 1.1.7

ह्यूमन लाइफ वेल्यू का मापन

HLV= यदि जीवित होता तो वार्षिक आय

ब्याज की दर

उदाहरण : श्री खुराना प्रतिवर्ष रु. 10,00,000 कमाते हैं और खुद पर रु. 2,00,000 खर्च करते हैं । यदि उनकी असमय मृत्यू हो जाती है तो उनके परिवार को होने वाली कुल आय की क्षति रु. 8,00,000 होगी ।
जैसे ब्याज की दर 7: है, (जिसे 0.07 व्यक्त किया गया है) । HLV = 800000/ 0.07 = Rs. 1,14,28,571

सामान्य बीमा

सामान्य बीमा की व्यापक रुप से दो श्रेणियां होती हैं :

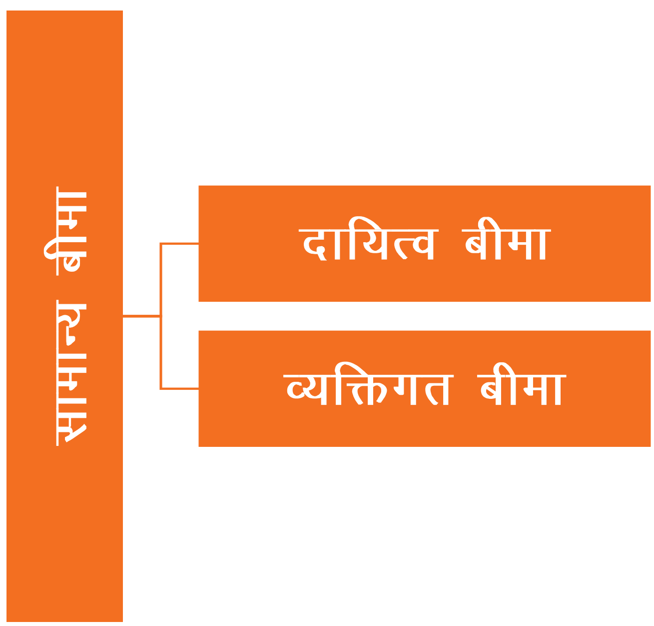

Figure 1.1.8

दायित्व बीमा

यह प्रभावित संपत्ति को होने वाले जोखिम से संदर्भित है जैसे आग, प्राकृतिक विपदा आदि है । सामान्य बीमा द्वारा नाम या साख को होने वाले नुकसान के कारण होने वाले नुकसान को भी कव्हर किया जाता है । ऐसे जोखिम दायित्व बीमे के तहत आते हैं ।

व्यक्तिगत बीमा

लोगों से जुड़े जोखिम जैसे स्वास्थ्य, व्यक्तिगत वित्त और दुर्घटना आदि व्यक्तिगत बीमे में आते है । ये जोखिम एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और ये सामान्य बीमे में कव्हर होते हैं ।

जीवन बीमा और सामान्य बीमा में अंतर

क्षतिपूर्ति	सामान्य बीमा	जीवन बीमा
यह नुकसान की वह सटिक मूल्य है जो बीमाकर्ता किसी घटना के मामले में निर्धारित करता है ।	क्षतिपूर्ति अनुबंध के रुप में काम करती है । बीमाकर्ता सिर्फ नुकसान के मूल्य के बराबर मुआवजा देता है ।	बीमे की संविदायें होती है । जीवन की क्षति के मामले में भुगतान की जाने वाली धनराशि पूर्व–निर्धारित होती है । जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति नहीं संभव है।
अनिश्चितता	सटिक हानि के बारे में बताना कठिन है। यह आग, बाढ़ या एक दुर्घटना के कारण हो सकती है ।	जीवन बीमा पॉलिसियां अक्सर जीवन बीमा संविदायें कहलाती हैं । मृत्यू निश्चित है, सिर्फ मृत्यू का समय निश्चित नहीं है । अतः यह असमय मृत्यू के जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है ।
संभाव्यता बढ़ना	मेरे साथ एक दुर्घटना होने के कारण नहीं बढ़ते। यह मेरे साथ नहीं हो सकता है।	मृत्यू निश्चित है और उम्र के साथ इसकी संभाव्यता बढ़ती है ।

नोट

जीवन बीमा जोखिम की प्रकृति

जीवन बीमा का बीमित की उम्र के साथ सीधा संबंध है । अतः, कम उम्र के लोगों को कम प्रीमियम देना होता है जबकि बड़ी उम्र के लोगों को जीवन बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होता है ।

इस कारण, वे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है परंतु अच्छी सेहत है, जीवन बीमा से हट जाएंगे और अस्वस्थ सदस्य बीमा योजना के साथ जुड़े रहेंगे । इसके परिणामस्वरुप बीमा कंपनियों को बहुत सारी परेशानियां होती है । अतः, उन्होंने अनुबंध विकसित किया है जिसमें एक ज्यादा वहनीय प्रीमियम होती है ताकि वे उनकी पूरी जिंदगी इसका वहन कर सकें । इससे प्रीमियम लेवल्स का जन्म हुआ ।

प्रीमियम लेवल्स क्या हैं ?

जब एक प्रीमियम शुरु से अंत तक अपरिवर्तित रहती है, अर्थात यह उम्र के साथ नहीं बढ़ती है तो इसे लेवल प्रीमियम कहते हैं । अनुबंध के पूरे समय यह अपरिवर्तित रहती है । लेवल प्रीमियम सभी आयु समूहों का एक औसत होती है ।

इसके कारण, शुरुआती वर्षों में प्राप्त की गई प्रीमियम शुरुआती उसके दौरान मरने वाले लोगों के मौत के दावों को कव्हर करने के लिए आवश्यक धनराशि से ज्यादा थी । साथ ही, बड़े आयु समूहों के बीच प्राप्त की गई प्रीमियम उन आयु समूहों में मरने वाले लोगों की मौत के दावों को कवर करने के लिए आवश्यक धनराशि से कम थी । इस तरह, छोटी उम्र के लोगों से अर्जित अतिरिक्त प्रीमियम बाद की अवस्थाओं के घाटे को पूरा करने में इस्तेमाल की गई ।

लेवल प्रीमियम

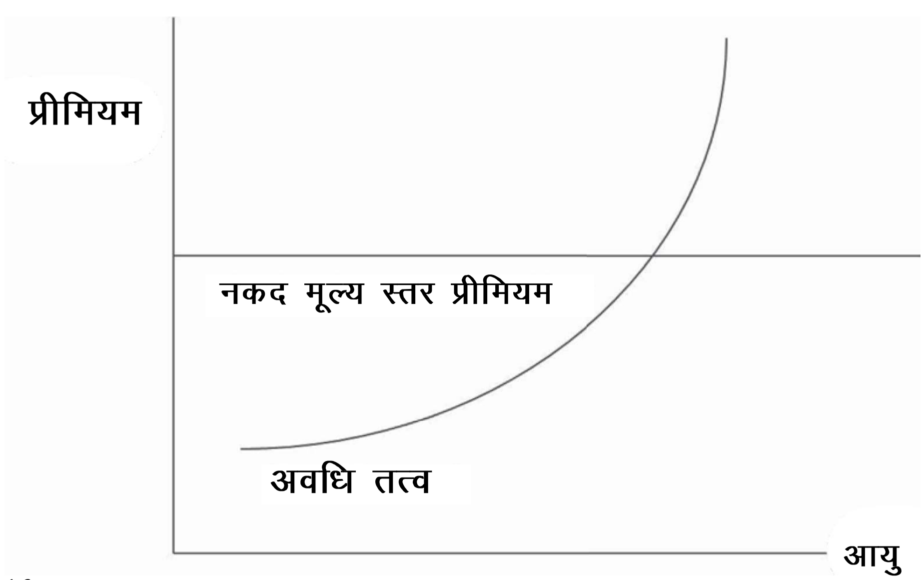

Figure 1.1.9

लेवल प्रीमियम के दो घटक हैं :

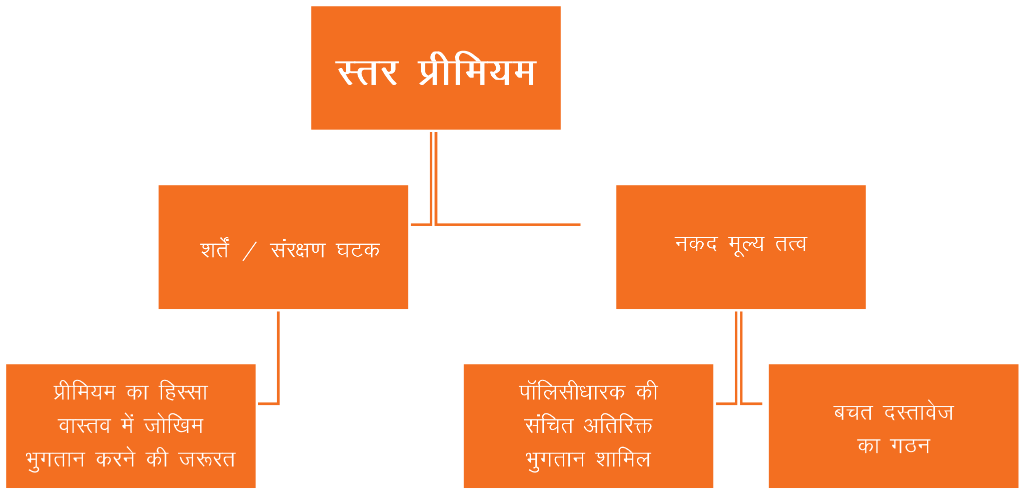

Figure 1.1.10

उपरोक्त ग्राफ दर्शाता है कि जीवन बीमा पॉलिसियां सुरक्षा और बचत दोनों का मिश्रण हैं । यदि प्रीमियम का नकद मूल्य ज्यादा है, तो इसे बचत उन्मुख बीमा पॉलिसी कहा जा सकता है ।

विविधता	**पारस्परिकता**
विविधता के तहत निधियां विभिन्न परिसंपत्तियों के मध्य फेला दी जाती है । (अण्डों को अलग अलग टोकरियें में रखना)	पारस्परिकता या पूलिंग के तहत, विभिन्न व्यक्तियों की निधियां मिला ली जाती है । (सभी अण्डों को एक ही टोकरी मे रखना)
विविधता के तहत हम एक स्त्रोत से अनेक गन्तव्यों तक निधियों को प्रवाहित करते हैं ।	पारस्परिकता के तहत हम बहुत से स्त्रोतों से निधियों को एक स्त्रोत की ओर ले जाते हैं ।

पारस्परिकता

जैसा कि पहले चर्चा हुई है, पारस्परिकता की जीवन बीमा में एक महत्वपूर्ण भूमिका है । यदि हम इसे विस्तार से देखें, तो इसकी दो महत्वपूर्ण भूमिका हैं :

आर्थिक क्षतियों के विरुद्व यह कवच का काम करती है जिनका परिणाम असमय मौत होती है । इस तरह की क्षति को एक कॉमन पूल में बीमित सभी व्यक्तियों से जमा निधियों में बांट दिया जाता है ।

जीवन बीमा जोखिम की पूलिंग तक सीमित नहीं है । इसमें वित्तीय जोखिम का त्याग भी शामिल है । यह प्रीमियम और निधियों को जमा करते हुए किया जाता है और विभिन्न समय पर विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के जोखिमों के अनुसार किया जाता है । इस तरह,यह सुनिश्चित किया जाता है कि जीवन बीमाकर्ता हर समय एक मानक दर पर लाभ प्रदान कर सके ।

जीवन बीमा अनुबंध

जीवन बीमा अनुबंध

Figure 1.1.11

एक अनुबंध जीवन बीमा का विधिक दस्तावेज होता है । इस दस्तावेज में बीमे की अवधि और बीमित धन शामिल होता है । इसमें वह धनराशि प्रदान की जाती है जिसकी अनुबंध के रुप में गारंटी दी जाती है । इस तरह अनुबंध वित्तीय सुरक्षा का वाहक बन जाता है । जीवन बीमा एक गारंटी के रुप में भी काम करता है इसलिए यह कुछ विनियमों और देखरेख के अधीन होता है ।

एक अनुबंध के एक गारंटी के रुप में काम करने के लिए, जीवन बीमाकर्ताओं को कुछ वैधानिक सीमाओं के अधीन होना पड़ता है । इस निवेश के साथ राइडर्स भी जुड़े होते हैं । जैसे उदाहरण के लिए, इसके लिए पर्याप्त प्रीमियम होनी चाहिए और कुछ नियम हो सकते हैं, जिनके अधीन पॉलिसी धारकों के धन का निवेश किया जा सकता है ।

जीवन बीमा अनुबंध के लाभ तथा हानि

जीवन बीमा पॉलिसियां अक्सर चर्चा का विषय हो जाती है । यह जानना जरूरी है कि क्या पॉलिसीधारकों को पर्याप्त लाभ मिल रहा है क्योंकि जीवन बीमा एक बचत का माध्यम भी बन गया है । अतः इसकी तुलना अक्सर अन्य वित्तीय पत्रो से भी की जाती है । आज उपलब्ध जीवन बीमा अनुबंधों में, जीवन के प्रति सुरक्षा भी होती है और साथ में यह एक बचत के वाहक के रुप में भी काम करता है ।

चलिये हम एक जीवन बीमा अनुबंध के लाभ और हानियों पर विचार करते हैं :

लाभ	हानियां
सुरक्षित निवेश क्योंकि लाभ पूर्व–निर्धारित होता है ।	स्तत लाभ प्रदान करने के कारण मुद्रास्फीति के प्रभावों को झेल नहीं पाता ।
प्रीमियम का भुगतान अनिवार्य होता है अतः निवेशक अनिवार्य तरीके से भुगतान करता ही है ।	जीवन बीमा की शुरुआती लागत ज्यादा होती है ।
निवेश का प्रबंधन जीवन बीमा प्रदाता द्वारा किया जाता है । निवेशक को कोई चिंता करने की जरुरत नहीं होती ।	अन्य वित्तीय मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स की तुलना में लाभ कम होता है ।
द्रव्यता मिलती है क्योंकि यह एक जमानत की तरह काम करता है ।	
आयकर में लाभ मिलता है ।	
साखकर्ता के दावों से सामान्यतः सुरक्षित होता है ।	

नोट

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT
& ENTREPRENEURSHIP

N·S·D·C
National
Skill Development
Corporation
Transforming the skill landscape

BFSI
BFSI Sector Skill Council of India

पताः पी जे टावर्स, 25वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट
मुंबई – 400 001 (भारत)
ईमेलः operations@bfsissc.com
वेबः www.bfsissc.com
फोनः 022 - 22728748 / 22728866 / 22728965

ISBN 978-93-87532-99-1

Price: ₹ 170

This book is provided free to students under the PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)

9 789387 532991